माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल म0प्र0 (ग्वालियर)

प्र0क0 — /2017 रिवीजन

PBR/निगरानी/शिवपुरी/भू.रा/2017/4042

श्री सुरेश कुशवाह प्रस्तुत द्वारा आज दि. 27/10/17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 27-10-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पेशी दिनांक 9-11-17

महिला मित्ती पत्नी स्व0 ग्यारी आदिवासी, आयु— 80 वर्ष, व्यवसाय— गृहकार्य, निवासी— सडकबरोदी तहसील व जिला— शिवपुरी म0प्र0

...........आवेदिका

बनाम

1. शौकीन खॉ पुत्र सट्टू खॉ, निवासी— शिवपुरी
2. नबाव खॉ पुत्र ना मालूम निवासी ककरवाया हाल निवासी शिवपुरी
3. कल्ला पुत्र परमू आदिवासी निवासी मोहनी, तहसील— शिवपुरी
4. जगदीश शर्मा पुत्र मोतीलाल शर्मा निवासी शिवपुरी जिला— शिवपुरी

............रेस्पोडेन्टस

रिवीजन अंतर्गत धारा 50 भू0 राजस्व संहिता

माननीय न्यायालय,

आवेदिका की ओर से रिवीजन निम्न प्रकार से प्रस्तुत है —

प्रारम्भिक प्रार्थना

अ. यहकि, प्रार्थिनी/आवेदिका वरिष्ठ नागरिक है और आदिवासी समाज से इसका ताल्लुक है तथा अति गरीब है परिवार का भरण—पोषण मजदूरी कर

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक –पीबीआर/निगरानी/शिवपुरी/भू.रा./2017/4042

महिला मित्ती विरूद्ध शौकीन खॉं आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
28–05–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्री आर.एस. सेंगर अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर, जिला–शिवपुरी प्र. क्र. 19/2001–02/अ.मा. में पारित आदेश दिनांक 12–05–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत इस निगरानी को सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 15–07–2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। 28/5/19 (आर0के0 जैन) सदस्य 3	